भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3844

16.03.2026 को उत्तर के लिए

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम

3844. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) की वर्तमान स्थिति और वृक्षारोपण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत भूमि कितनी है;

(ख) पौधों के दीर्घकाल तक जीवित रहने की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं कि 40 प्रतिशत कैनोपी घनत्व जैसे स्थापित पारिस्थितिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही क्रेडिट जारी किए जाएं;

(ग) क्या सरकार के पास 'दोहरी गणना' को रोकने के लिए कोई नयाचार है जहां प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) या अन्य वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत पहले से ही भूमि के टुकड़े ग्रीन क्रेडिट के लिए पंजीकृत हैं;

(घ) पौधों के जीवित रहने की दर में सुधार लाने के लिए इन पौधारोपणों के रख-रखाव और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि अवक्रमित वन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही विदेशी प्रजातियों की तुलना में देशी जैव-विविधता को प्राथमिकता दी जाए?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.): ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने और लाइफ (पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली) आंदोलन को बढ़ावा देने का एक अभिनव तंत्र है। यह पहल समुदाय को पर्यावरण-अनुकूल कार्यों का सहयोग करने वाले व्यवहारिक परिवर्तन अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और रीतियों को अपनाकर हरित आवरण बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना, अवक्रमित भूमि का जीर्णोद्धार करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।

केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर पर्यावरण के अनुकूल कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है, जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत, वृक्षारोपण और अवक्रमित वन भूमि के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन की प्रक्रिया

दिनांक 22 फरवरी 2024 को अधिसूचित की गई थी जिसे बाद में दिनांक 29 अगस्त 2025 को संशोधित किया गया।

इस प्रयोजनार्थ एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल (https://moefcc-gep.in/) विकसित किया गया है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत प्रशासक है और इन नियमों के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रबंधन, संचालन और जारी करने सहित इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उततरदायी भी है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वन भूमि को पुनर्स्थापित करना है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत जिन खराब हो चुकी वन भूमि को शामिल करने का प्रस्ताव है, उनका चयन और पंजीकरण राज्य वन विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर उचित सत्यापन के बाद किया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत चयनित भूमि खंड का सत्यापन मंडल नोडल अधिकारी (डीएनओ) और राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि खराब हो चुकी वन भूमि खंड न तो मौजूदा वृक्षारोपण के अंतर्गत हैं और न ही किसी अन्य योजना के तहत वनीकरण के लिए निर्धारित हैं, जिसमें प्रतिपूर्ति वनीकरण भी शामिल है, ताकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत दोहरी गणना को रोका जा सके।

इस प्रकार की अवक्रमित वनभूमियों पर किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों में स्थल की उपयुक्तता के आधार पर स्थानीय प्रजातियों के मिश्रण का उपयोग करना आवश्यक है। आवेदक को ग्रीन क्रेडिट तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कम से कम पांच वर्षों का पुनर्स्थापन कार्य पूरा हो चुका हो और कम से कम चालीस प्रतिशत का कैनोपी घनत्व प्राप्त हो गया हो। रोपित पौधों और प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को परिपक्व होने और पर्याप्त कैनोपी विकसित करने के लिए पांच वर्ष की स्थापना अवधि निर्धारित की गई है, ताकि मध्यम रूप से सघन वन के अनुरूप निर्धारित चालीस प्रतिशत कैनोपी घनत्व प्राप्त किया जा सके।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत नामित "नामित एजेंसी" ग्रीन क्रेडिट के दावे का सत्यापन करेगी और ग्रीन क्रेडिट जारी करने के लिए आवेदक द्वारा किए गए कार्यकलापों के सत्यापन के संबंध में प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

जीसीपी के तहत पुनर्स्थापित वन भूमि को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, इसके नियमों और दिशानिर्देशों के तहत प्रतिपूर्ति वनीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आदान-प्रदान किया जा सकता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वन पुनर्स्थापन कार्यों का उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ाना और वन संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करना है। अवक्रमित वन भूमि के पुनर्स्थापन का लक्ष्य लकड़ी, गैर-लकड़ी वन उत्पाद, चारा, जल और अन्य पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाकर स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत चयनित राज्यवार अवक्रमित वन क्षेत्र का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3844 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत पारि-पुनर्स्थापन के लिए चयनित अवक्रमित वन क्षेत्र का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**	**क्षेत्रफल (हे. में)**
1	असम	454
2	बिहार	460
3	छत्तीसगढ	536
4	गोवा	5
5	गुजरात	975
6	झारखंड	302
7	मध्य प्रदेश	640
8	महाराष्ट्र	335
9	ओडिशा	257
10	राजस्थान	175
11	तेलंगाना	155
12	उत्तर प्रदेश	97
कुल		**4391**

*****